न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 01/2019

दायर दिनांकः 09.02.2019

निर्णय दिनांक 01.08.2025

—:अनवान:—

राज्य सरकार जरिये, क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल भीलवाड़ा —— **प्रार्थी**

बनाम

बाघमल मार्बल प्राईवेट लिमिटेड मोरचना तहसील व जिला राजसमन्द —— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अप्रार्थी।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री भगवतीलाल नवलखा निवासी कांकरोली द्वारा बाघमल मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, मोरचना के विरूद्ध राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के क्रम में क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा बाघमल मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, मोरचना को जल व वायु अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 11.08.2017 को कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द को पत्र प्रेषित किया गया। श्री भगवतीलाल नवलखा द्वारा बाघमल मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, मोरचना के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत में निवेदन किया गया कि श्रीनाथ मार्बल पसून्द प्रोप्राइटर श्रीमती सज्जन देवी धर्म पत्नि श्री भगवती लाल नवलखा लघु उधोग बतीस इंची विल कटर खारी फिडर नहर के किनारे के पास मोरचना पसुन्द की सीमा पर स्थित है जिसके पड़ोस पूर्व – मोरचना से पसून्द जाने वाले खारी फिडर के साथ—साथ का कच्चा रास्ता, पश्चिम – बाघमल मार्बल प्रा.लि. मोरचना, उत्तर – मंत्री मार्मा स्टोन प्रा. लि., दक्षिण – सरकारी बिलानाम भूमि आ. न. 1687/1484, आ.न. 131, आ.न. 133, आ.न. 761/2, आ.न. 772/2 व तालेडी नदी की एक धारा जो नाली के रूप में बोरज का खेड़ा से खारी फिडर के पास सरया बहकर राजसमन्द में पहुंचती है उक्त वर्णित चारो पड़ोस के मध्य पसून्द की आ.न. 1424 रकबा तीन बीघा भूमि जो श्रीमती सज्जन देवी धर्म पत्नि भगवती लाल, सुरेश चन्द्र, राकेश कुमार पिता भगवती लाल के नाम पर दर्ज रिकार्ड है एवं उसमें तीनों खातेदारो के नाम अलग—अलग छः—छः बिस्वा भूमि उद्योग परिवर्तित है। जिसके चारो तरफ पत्थर की पक्की दीवारे दो फिट गहरी नींव व नींव के उपर 6 फिट उंची सवा फिट चौडी दीवारें बनी हुई है और बतीस इंच विल कटर के लिये

शेड होज मशीन फाउन्डेशन बने है दक्षिणी पूर्वी दीवार के पास एक कमरा 10X10 पक्का पट्टी पोस बना है जिसका एक दरवाजा दक्षिण तरफ लगा है एवं एक दरवाजा प्रार्थी की भूमि के अन्दर फाटक के पास लगा हुआ है पास ही एक बोरिंग छः इंची व्यास का 625 फिट गहरा है एवं श्रमिको के आने जाने के लिए एक रास्ता पट्टी पोस से करीब 5 फिट चौडा है एवं एक फाटक ट्रक ट्रोला ट्रेक्टर आदि वाहन आने जाने की बनी होकर फाटक लगी हुई है इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी दीवार के पास एक रास्ता 20 फिट चौडा और बना हुआ है अजमेर वि.वि.नि.लि. का थ्री फेस बिजली कनेक्शन लगा है सभी रास्ते प्रार्थी की भूमि के दक्षिण तरफ यानि खारी फिडर तरफ लगे हुए है जो सरकारी बिलानाम भूमि आ.न. 1687/1484 आ.न. 131 आ.न. 133 आ.न. 772/2 सभी आराजी सेकड़ो वर्षों से रास्ते के उपभोग में चली आ रही है इनमें से आ.न. 1687/1484 रकबा ग्यारह बिस्वा जमीन जो प्रार्थी की आ.न. 1486 आ.न. 1487 आ.न. 1498 आ.न. 1524 आ. न. 1525 आ.न. 1526 आ.न. 1527 तक पूरी समाप्त हो चुकी है। इसका कुछ हिस्सा प्रार्थी की आ.न. 1484 के पश्चिम दक्षिण तरफ आ.न. 772/2 को केवल छु रहा है शेष आ.न. 131, आ.न. 133, आ.न. 772/2 आ.न. 761/2 सदा से रास्ते के उपभोग में आ रही है। कुछ समय से बाघमल मार्बल प्राइवेट लिमिटेड मार्बल गैंगसा हमारी उक्त भूमि के रास्ते में रूकावट करने के लिये अपनी फैक्ट्री का तमाम वेस्टेज मार्बल स्लरी हमारी भूमि की दक्षिणी दीवार के पास डाल रहा है जिससे हमारी दक्षिण तरफ दीवार के गिरने की हालात बन गये एवं पुरे रास्ते के साथ साथ तालेडी नदी की पाली तक में भी वेस्टेज व तरल मार्बल स्लरी डाल रहा है। तालेडी नदी की वाली का पानी राजसमन्द झील में समायोजित होता है और राजसमन्द झील का पानी राजसमन्द क्षेत्र की जनता के पीने के उपयोग एवं सेकड़ों हेक्टर जमीन की सिंचाई में उपयोग हो रहा है ऐसी अवस्था में सारा वेस्टेज व मार्बल स्लरी झील में जायेगी और जलवायु प्रदुषण के साथ सेकडो हेक्टर कृषि भूमि में भी प्रदुषण होने की संभावना है प्रार्थी ने बाघमल मार्बल प्रा. लि. को इस वेस्टेज व मार्बल तरल स्लेरी हमारे रास्ते की बिलानाम भूमियों आ.न. 772/2, आ.न. 131, आ.न. 133 व 1687/1494 तालेडी वाली में नहीं डालने हेतु विनम्र निवेदन किया। लेकिन वो अपने स्वार्थ ओर हमारे से द्वेष वश कुछ भी मानने को तैयार नहीं है ऐसी अवस्था में प्रार्थी को मजबूर होकर आप श्रीमान् को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है वह द्वेष व लालच वश प्रार्थी की जमीन को नेस्तानाबूत मृत्युहीन करने पर उतारू है उसे आज ही मौका मुआयना फर्मा प्रदुषण फैलाने रास्ते को पूर्ववत बहाल करने डाला गया वेस्टेज हटाने को पाबन्द करावे अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई अर्थ में कदापि सभंव नही है यह आम रास्ता है यहा से ग्रामीणों बच्चों पशुओं का आना जाना लगा रहता है जिससे जन हानि की प्रबल संभावना है इसके अलावा झील से जलीय जीवों को भी हानि हो सकती है। अतः उसे प्रदुषण फैलाने से तुरन्त रोका जावे रास्ते को पूर्ववत्त बिल्कुल साफ करा गढ्ढे भराये जाने का कष्ट करावे। अपरिहार्य कारणों से अभी कटर बन्द होने से उसके हौसले बुलन्द है धन बल व दंबगाई व राजनीतिक पहुंच होने से भी हौसले बुलन्द है उसे पाबन्द कराने का कष्ट करावे डाला गया मलबा हटवाने एवं भविष्य में ओर न डालने को पाबन्द करावे।

क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को न्यूसेंसो को हटाने के लिए नोटिस

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा ने उपस्थिति देकर जवाब प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध पड़ौसी भूमिधारक श्री भगवतीलाल नवलखा निवासी कांकरोली द्वारा झूठी एवं आधारहीन शिकायत सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज करायी हैं विपक्षी बाघमल मार्बल द्वारा मोरचना खारी फीडर नहर नंदसमंद से राजसमन्द पानी लाने वाली नहर के पास ग्राम मोरचना व पसून्द में जलवायु प्रदूषण का मिथ्या आरोप लगाया गया है जो आधारहीन है। विपक्षी अपनी औद्योगिक रूपान्तरणशुदा भूमि पर ही अपनी गैंगसा यूनिट संचालित कर रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी स्वयं की भूमि के तीन अलग अलग भूखण्ड बनाकर उस पर अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। शिकायतकर्ता स्वयं ने उद्योग स्थापित करने एवं संचालित करने के संबंध में किसी प्रकार की अनुमति सक्षम अधिकारी एवं पर्यावरण विभाग से प्राप्त नहीं की है बल्कि अपने मनमकसूद तरीके से 625 फीट गहरा 6 इंची व्यास का बोरिंग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के खोद दिया है। उक्त पड़ौसी कटरधारी द्वारा स्वयं नियमों के विपरीत अपनी फेक्ट्री संचालित की जा रही है तथा उनकी भूमि में रूपान्तरण के समय कोई रास्ता अपनी भूमि में जाने के लिये न तो छोड़ा था, न ही प्राप्त किया था और अब नये सिरे से विपक्षी की भूमि में से नया रास्ता बनाना चाहते हैं उस हेतु नाजायज दबाव बनाकर बिना कोई प्रतिफल के रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं इसी उद्देश्य से यह प्रकरण आप न्यायालय में परिवादकर्ता द्वारा दर्ज करवाया गया हैं। शिकायतकर्ता एवं विपक्षी की भूमि दोनों अलग अलग है जिसका प्रार्थी व विपक्षी के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध व किसी प्रकार का कोई लेनदेन हक अधिकार नहीं है फिर भी शिकायतकर्ता ने विपक्षी को नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से यह झूठी शिकायत प्रस्तुत की है। विपक्षी द्वारा अपने वेस्ट मटेरियल को अपनी नियत स्थान की भूमि में ही डाला जा रहा है। शिकायतकर्ता का इस मामले में कोई संबंध ही नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध झूठी व आधारहीन शिकायत की है। विपक्षी द्वारा अपनी फेक्ट्री का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है। फेक्ट्री में चाहे जाने वाले वाले आवश्यक उपकरण अपनी इच्छानुसार ही उपयोग उपभोग किये जा रहे हैं। विपक्षी द्वारा अपनी फेक्ट्री के संबंध में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण से विधिनुसार स्वीकृति प्राप्त कर रखी है। जिसके संबंध में भी परिवादी ने झूठी शिकायत प्रस्तुत की। जिस पर विपक्षी को जारी राजस्थान पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस की जवाबदेही प्रस्तुत कर नोटिस की कार्यवाही को विपक्षी द्वारा पूर्णरूप से पर्यावरण विभाग को संतुष्ट कर उक्त नोटिस की कार्यवाही को ड्रोप कराया हैं। विपक्षी द्वारा अपनी फेक्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज व मार्बल स्लेरी को न तो रास्ते में डाला है, न रास्ता अवरूद्ध किया है, न ही ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे कि लोक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। परिवादी येनकेन प्रकारेण विपक्षी की फेक्ट्री बंद कराकर अपने मनमकसूद तरीके से उक्त फेक्ट्री को खरीदना चाहता है जिससे प्रार्थी उक्त फेक्ट्री को कम पैसों में खरीद सकें इसी वजह से यह कृत्य स्वयं विपक्षी के परिसर को हड़पने के उद्देश्य से नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है। धारा 133 जा० फौ० के प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता आप न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना है कि उक्त नोटिस की कार्यवाही को ड्रोप करावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त मौका स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम पसून्द तहसील व जिला राजसमन्द के आराजी नं. 1484. 1687/1484 एवं राजस्व ग्राम मोरचना तहसील व जिला राजसमन्द के आराजी नं. 131, 133, 772/2, 761/2 की वर्तमान मौका स्थिति/कमिश्नर रिपोर्ट हेतु मौका पर्चा तैयार किया गया। जिसके अनुसार राजस्व ग्राम मोरचना तथा राजस्व ग्राम पसून्द की सरहद पर खारी फीडर नहर पर राजस्व ग्राम पसून्द के वर्तमान आराजी नं. 1484/1 रकबा 0.0486 है। किस्म उघोग आराजी नं. 1484/2 रकबा 0.3399 है0 किस्म बारानी 2 जो कि राकेश पुत्र भगवतीलाल नवलखा, सुरेश पुत्र भगवतीलाल नवलखा, सज्जन पत्नि भगवतीलाल नवलखा हिस्सा बराबर जाति महाजन निवासी कांकरोली के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम पसून्द के आराजी नं. 1484/3 रकबा 0.0486 है0 किस्म उद्योग जो कि राकेश पुत्र भगवतीलाल जाती नवलखा निवासी कांकरोली के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। ग्राम पसून्द के आराजी नं. 1484/4 रकबा 0.0486 है0 किस्म उद्योग सुरेश पुत्र भगवतीलाल जाति नवलखा निवासी कांकरोली के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उपर्युक्त आराजीयात में पूर्व में मार्बल कट्टर मशीन लगी हुई थी। वर्तमान में वीरान होकर मार्बल पत्थर पड़े हुए है एवं पक्की चारदीवारी बनी हुई है। उपर्युक्त भूमि में से ही एक डामरीकृत सड़क बनी हुई है जो की एनएच – 58 से मजरा कोरना का बाड़ा, ग्राम पसून्द एवं ग्राम बोरज का खेड़ा तक जाती है। ग्राम पसून्द के आराजी नं. 1687/1484 रकबा 0. 0890 है0 किस्म बारानी 2 जो कि बिलानाम सरकार दर्ज रेकॉर्ड है। इस आराजीयात के कुछ भाग में से डामरीकृत सड़क निकाली हुई है जो कि एनएच – 58 से मजरा कोरना का बाड़ा, ग्राम पसून्द एवं ग्राम बोरज का खेड़ा तक जाने में उपयोग हो रही है तथा आराजी नं. 1687/1484 के शेष भाग को राकेश पुत्र भगवतीलाल नवलखा, सुरेश पुत्र भगवतीलाल नवलखा, सज्जन पत्नि भगवतीलाल नवलखा ने अपने खातेदारी भूमि आराजी नं. 1484/1, 1484/2 के साथ पक्की चारदीवारी करके मिला रखा है। राजस्व ग्राम मोरचना के आराजी नं. 772/2 रकबा 0.4047 हैक्ट, किस्म बंझड जो कि बिलानाम सरकार दर्ज रेकॉर्ड है। उपर्युक्त अराजीयात में मौके पर लगभग 0.1619 हेक्टे. भूमि में सूखी मार्बल स्लरी पड़ी हुई है एवं इस आराजी के दक्षिणी पश्चिम दिशा में लगभग 0.0324 हैक्टे. भूमि में मार्बल स्लेब्स रखे हुऐ है। उक्त मार्बल स्लेब्स मैसर्स पंचमुखी मार्बल एवं ग्रेनाईट इण्ड, मोरचना के द्वारा रखे हुए है। इस आराजी की शेष भूमि खाली पड़ी हुई है जिसमें से डामरीकृत सड़क निकली हुई है जो कि एनएच – 58 से मजरा कोरना का बड़ा. ग्राम पसून्द एवं ग्राम बोरज का खेड़ा तक जाती है। राजस्व ग्राम मोरचना के आराजी नं. 761/2 रकबा 0.5747 हैक्टे. किस्म उघोग मैसर्स पंचमुखी मार्बल एण्ड ग्रेनाईट इण्ड मोरचना के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि में मार्बल गैंगसा उघोग लगा हुआ होकर वर्तमान में चालू स्थिति में है। राजस्व ग्राम मोरचना के आरजी नं. 131 एवं 133 विवादित स्थल से 600 मीटर दूर स्थित है जो कि खातेदारी भूमि है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर गुणावगुण तथा तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रेषित मौका स्थिति रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष हैं कि वादग्रस्त भूमि पर न्यूसेंस कारित किया जा रहा हैं। इस संबंध में क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, राजसमन्द, महाप्रबन्धक, जिला उधोग

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

केन्द्र, राजसमन्द तथा तहसीलदार राजसमन्द की एक संयुक्त कमेठी गठित कर प्रकरणाधीन भूमि (आ.न. 1484, आ.न. 772/2, आ.न. 761/2, आ.न. 131, आ.न. 133 व 1687/1484) की सम्पूर्ण जॉच कर अवैध डम्पिंग और अन्य अवैध क्रियाकलापो (उधोग विभाग की स्वीकृति ली गई अथवा नही, पर्यावरण विभाग की स्वीकृति ली गई अथवा नही, नलकूप/बोरिंग की स्वीकृति ली गई अथवा नही) के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट से इस न्यायालय को भिजवाये जाने हेतु निदेर्शित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वेस्टेज व मार्बल स्लेरी जो कि बिलानाम रास्ते की भूमियों आ.न. 772/2, आ.न. 131, आ.न. 133 व 1687/1484 व तालेडी नदी की वाली में डाली गई/पडी हुई हैं। जिसे विपक्षी बाघमल मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, मोरचना या वर्तमान में उक्त आराजी में स्थित मैसर्स पंचमुखी मार्बल एण्ड ग्रेनाईट इण्ड. मोरचना द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से हटाया जाना सुनिश्चित करने तथा भविष्य में इस कृत्य को दौबारा नही करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता हैं। इस संबंध में क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, राजसमन्द, महाप्रबन्धक, जिला उधोग केन्द्र, राजसमन्द तथा तहसीलदार राजसमन्द को निर्देशित किया जाता हैं कि आप एक संयुक्त कमेठी गठित कर प्रकरणाधीन भूमि (आ.न. 1484, आ.न. 772/2, आ.न. 761/2, आ.न. 131, आ.न. 133 व 1687/1484) की सम्पूर्ण जॉच कर अवैध डम्पिंग और अन्य अवैध क्रियाकलापो (उधोग विभाग की स्वीकृति ली गई अथवा नही, पर्यावरण विभाग की स्वीकृति ली गई अथवा नही, नलकूप/बोरिंग की स्वीकृति ली गई अथवा नही) के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट से इस न्यायालय को सूचित करे। मैसर्स पंचमुखी मार्बल एण्ड ग्रेनाईट इण्ड. मोरचना /बाघमल मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, मोरचना को निर्देशित किया जाता है कि वेस्टेज व मार्बल स्लेरी जो कि बिलानाम रास्ते की भूमियों आ.न. 772/2, आ.न. 131, आ.न. 133 व 1687/1484 व तालेडी नदी की वाली में डाली गई/पडी हुई हैं। जिसे अपने स्वयं के खर्चे से हटाया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में इस कृत्य को दौबारा नही करने हेतु पाबन्द किया जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 01.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)